दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 20.03.2023
निर्णय दिया गया: 24.05.2023

रि.या.(सि.) 6050/2021 एवं सि.वि.आ. 19148/2021

सुरेश गौर .....याचिकाकर्ता

द्वारा: अवध बिहारी कौशिक, अधिवक्ता।

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुपम श्रीवास्तव, अति.स्था.अधि. सह प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 4 तक के लिए अधिवक्तागण श्री धैर्य गुप्ता, श्री वसुह मिश्रा और श्री उज्जवल मल्होत्रा।
श्री विशाल बिस्वास, प्रत्यर्थी/डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के कनिष्ठ सहायक।

कोरम:
माननीय मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

मु.न्या. सतीश चंद्र शर्मा

1. याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक जनहित याचिका **("पीआईएल")** के रूप में तत्काल रिट याचिका दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 4 के विरुद्ध अधिकार-पृच्छा रिट की मांग की गई है।

2. यह मामला प्रत्यर्थी सं. 4 के दिनांक 10.03.2021 के आदेश सं. एफ.11/252/एच&एफडब्लू/2018/एचआर-मेड./पे.फ़ाइल-I/112587809/559-71 के द्वारा चिकित्सक निदेशक के रूप में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल **("बीएसए अस्पताल")**, सेक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली में प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 **(आक्षेपित आदेश)** द्वारा कराई गई नियुक्ति से संबंधित है और यदि यह नियुक्ति विधि अनुसार की गई थी या नहीं।

3. शुरुआत में, समझने के लिए एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देना उचित होगा जिसके आधार पर उपरोक्त प्रार्थना की मांग की गई है और जिस आधार पर बीएसए अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के रूप में प्रत्यर्थी सं. 4 की नियुक्ति

के संबंध में वैधानिक नियमों के उल्लंघन और प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया है।

4. जब वर्ष 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार **("रा.रा.क्षे.दि.रा.सर")** अस्तित्व में आई तो कई अस्पताल, औषधालय और स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए और दिल्ली के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ मौजूदा अस्पतालों को भी रा.रा.क्षे.दि.रा.सर के तहत रखा गया। दिल्ली के निवासियों की देखभाल करने वाले डॉक्टरों को या तो केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं **("सीएचएस")** से उधार लिया गया था या उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई थी।

5. वर्ष 2006 में रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. ने दिनांक 13.11.2006 को कैबिनेट निर्णय सं. 1139 के माध्यम से अपना स्वयं का स्वास्थ्य संवर्ग बनाया। उक्त निर्णय से 'दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं' **("डीएचएस")** का गठन हुआ। डीएचएस के गठन के अनुसरण में 'दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं (एलोपैथी) नियम, 2009' **("एलोपैथी नियम, 2009")** को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सरकार को प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र में दिनांक 23.12.2009 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।

6. तत्पश्चात्, दिनांक 20.08.2014 की अधिसूचना के माध्यम से रा.रा.क्षे.दि.सर. ने डीएचएस के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी **("रा.रा.क्षे.दि.सर.")** और डीएचएस के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-कैडर में 528 डॉक्टरों की नियुक्ति की थी जो दिनांक 23.12.2009 से पूर्वव्यापी रूप से यानी एलोपैथी नियम, 2009 के प्रभावी होने की तारीख थी।

7. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एक आर्थोपेडिक के रूप में प्रत्यर्थी सं. 4 को शुरू में रा.रा.क्षे.दि.सर. द्वारा संविदा और अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में, उसे नियमित किया गया और दिनांक 23.12.2009 से डीएचएस के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ ग्रेड-III कैडर में शामिल कर लिया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि हालाँकि ऐसा उसकी पिछली संविदा सेवाओं की वरिष्ठता को जोड़े बिना किया गया था।

8. यह प्रस्तुत किया गया है कि फीडर गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-कैडर में नियुक्त प्रत्यर्थी सं. 4 जैसे डॉक्टर को फीडर कैडर में दो साल पूरे करने होते हैं और इसके बाद वह विशेषज्ञ ग्रेड-II के लिए पात्र हो जाता है जिसमें उसे कम से कम चार साल तक सेवा करनी होती है और उसके बाद ही वह विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी बन सकता है और यह एक ऐसा स्तर है जहां उसे कम से कम सात साल सेवारत रहना होता है। विशेषज्ञ ग्रेड-I के पद पर सेवा में न्यूनतम

सात वर्ष पूरे होने पर ही प्रत्यर्थी सं. 4 वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड **("एसएजी")** का हकदार हो जाएगा अर्थात् वह ग्रेड जिसमें कोई व्यक्ति बीएसए अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करेगा। याचिकाकर्ता ने डीएचएस के भीतर पदोन्नति के लिए अपनाई जाने वाली पूर्वोक्त प्रक्रिया के संबंध में अपने मत को मजबूत करने के लिए एलोपैथी नियम, 2009 के नियम 4 को आधार बनाया है।

9. याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस ग्रेड में प्रत्यर्थी सं. 4 को डीएचएस में शामिल किया गया था और डीएचएस के तहत सेवा में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी सं. 4 केवल विशेषज्ञ ग्रेड I के ग्रेड में है, इसके अलावा, उसने इस जनहित याचिका को दाखिल करने के समय उक्त ग्रेड में सात साल की निर्धारित अवधि पूरी नहीं की है। इस प्रकार, उनके वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड **("एसएजी")** होने या अधिसमय मान के लिए पात्र होने अर्थात् बीएसए अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता।

10. याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस याचिका को दायर करने के समय प्रत्यर्थी सं. 4 ग्रेड वेतन 8700 के तहत गैर-शिक्षण विशेषज्ञ ग्रेड- I के रूप में काम कर रहा था और उसे किसी भी तरह से 37400-

67000+जीपी 10000 (पूर्व-संशोधित) के वेतन बैंड-4 में एसएजी/अधिसमय ग्रेड का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 के पास चिकित्सा निदेशक के पद के लिए पात्र होने के लिए अपेक्षित वरिष्ठता नहीं है और बीएसए अस्पताल में चिकित्सा निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विचारणीय एलोपैथी नियम, 2009 की अनुसूची II के अनुसार उपरोक्त एसएजी होना चाहिए।

11. याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि डीएचएस (एलोपैथी) नियम, 2009 की अनुसूची II में कहा गया है कि चिकित्सा निदेशक का पद एक ड्यूटी पद है जिसे 37400-67000+जीपी 10000 (पूर्व-संशोधित) रुपए के वेतन बैंड-4 में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/अधिसमय ग्रेड में जीडीएमओ उप-कैडर के एक अधिकारी द्वारा भरा जाना है। इसके अलावा, चिकित्सा निदेशक बीएसए अस्पताल का समग्र प्रभारी और प्रशासक है। बीएसए अस्पताल के चिकित्सा निदेशक का पद एक महत्वपूर्ण पद है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बीएसए अस्पताल के डॉक्टरों/कर्मचारियों/स्टाफ की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट **("एसीआर")** तैयार करने की महत्वपूर्ण शक्ति है। इस प्रकार, उक्त पद के लिए किसी के बारे में विचार करते समय संबंधित वैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है।

12. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एलोपैथी नियम, 2009 की अनुसूची II के अनुसार बीएसए अस्पताल क्रम संख्या 20 पर सूचीबद्ध है और अनुसूची में ड्यूटी पदों की उक्त सूची में चिकित्सा अधीक्षक का पद मौजूद नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सा अधीक्षक और चिकित्सा निदेशक का पद एक ही है और सिर्फ नाम अलग-अलग हैं। इस बात को उजागर करना उचित है कि नाम में उक्त परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी अर्थात् दिल्ली के उप-राज्यपाल की किसी वैधानिक मंजूरी या अनुमोदन से नहीं किया गया था।

13. याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि नियुक्ति के आक्षेपित आदेश के संदर्भ में बीएसए अस्पताल में चिकित्सा निदेशक के रूप में प्रत्यर्थी सं. 4 की यह नियुक्ति प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 द्वारा बिल्कुल विसंगतिपूर्ण, अवैध और मनमाने ढंग से की गई है।

14. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 न तो सक्षम है और न ही योग्य है और अन्यथा भी, उपरोक्त पद पर नियुक्त होने के लिए इनके पास आवश्यक योग्यता या अनुभव नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 के पास एसएजी भी नहीं है जो डॉक्टरों को चिकित्सा निदेशक के

रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक बुनियादी और मूलभूत आवश्यकता होती है।

15. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 केवल एक ग्रेड- I विशेषज्ञ है जबकि 100 से अधिक डॉक्टर और उससे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, एसएजी स्तर रखते हैं और विभिन्न अस्पतालों में काम कर रहे हैं वे उस पद के लिए पात्र हैं जिस पर प्रत्यर्थी सं. 4 को नियुक्त किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इनमें से कई योग्य उम्मीदवार बीएसए अस्पताल में भी काम कर रहे हैं और उक्त पद के लिए इच्छुक भी हैं।

16. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी तरह से यह नहीं माना जा सकता है कि वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप रहते हुए प्रत्यर्थी सं. 4 को चिकित्सा निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था।

17. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 को प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 द्वारा एसएजी रखने वाले डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों की सूची के बाहर से चिकित्सा निदेशक के पद के लिए चुना गया है और इस प्रकार, स्वयंसिद्ध रूप से प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 का यह आक्षेपित कार्य एक स्पष्ट उल्लंघन है और वरिष्ठता, पात्रता और पिछले अभ्यासों को नियंत्रित करने वाले सभी

मानदंडों, नियमों का उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 का यह कार्य सेवा न्यायशास्त्र का स्पष्ट उल्लंघन है।

18. अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने बीएसए अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों के नाम बताए हैं जिन्हें यूपीएससी द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है और 10000 (पूर्व-संशोधित) के ग्रेड वेतन के साथ एसएजी/अधिसमय ग्रेड में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने 17 डॉक्टरों की एक सूची प्रदान की थी जो याचिकाकर्ता के अनुसार उपरोक्त योग्यता रखते हैं, बीएसए अस्पताल में काम कर रहे हैं और बीएसए अस्पताल में चिकित्सा निदेशक के पद पर नियुक्त होने के योग्य हैं।

19. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जब से प्रत्यर्थी सं. 4 को चिकित्सा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तब से बीएसए अस्पताल में स्पष्ट रूप से कुप्रबंधन, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, उद्दंडता और अराजकता रही है। संबंधित अधिकारियों के पास आपत्तियों और शिकायतों के दर्ज होने के बावजूद प्रत्यर्थी सं. 4 के विरुद्ध कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इसके आलोक में, बीएसए अस्पताल जहां स्थित है उस क्षेत्र का निवासी होने के नाते याचिकाकर्ता ने अपने साथ हो रहे अन्याय को न्यायालय

के संज्ञान में लाने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का दायित्व उठाया है।

20. यह प्रस्तुत किया गया है कि बीएसए अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के रूप में प्रत्यर्थी सं. 4 की अवैध नियुक्ति के कारण अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी गंभीर संकट में हैं और दुखी हैं। चिकित्सा निदेशक के पद पर प्रत्यर्थी सं. 4 की अवैध नियुक्ति के कारण बीएसए अस्पताल के संगठन ने दिनांक 07.04.2021 को दिल्ली के उप-राज्यपाल के कार्यालय को एक लिखित अभ्यावेदन दिया हालांकि अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्थी सं. 4 की अवैध नियुक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

21. दिनांक 07.04.2021 के अभ्यावेदन में कहा गया था कि प्रत्यर्थी सं. 4 की नियुक्ति के आक्षेपित आदेश के कार्यान्वयन से एक विषम स्थिति पैदा होगी और कनिष्ठ डॉक्टरों द्वारा अवज्ञा के मामले सामने आएंगे। आक्षेपित आदेश स्वयं ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसमें 100 से अधिक डॉक्टरों, जिनके पास वास्तव में चिकित्सा निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक ग्रेड वेतन के साथ एसएजी है, को दरकिनार करते हुए एक कनिष्ठ डॉक्टर को एक पद दिया गया है। अभ्यावेदन में यह कहा गया कि नियुक्ति के आक्षेपित

आदेश ने वरिष्ठता के मानदंड को दरकिनार कर दिया है और इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें कई लोगों से कनिष्ठ डॉक्टर, वरिष्ठ डॉक्टरों/एसएजी अधिकारियों की एसीआर लिखेंगे। संगठन ने उपराज्यपाल से नियुक्ति के उक्त आक्षेपित आदेश के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

22. याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जब से प्रत्यर्थी सं. 4 ने चिकित्सा निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है तब से बीएसए अस्पताल में पूरी तरह से कुप्रबंधन रहा है और जब कोरोनोवायरस महामारी देश को बर्बाद कर रही थी तब यह चिकित्सा निदेशक कोई व्यवस्था स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहे और अस्पताल में वह लोग जरुरत के समय में पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना प्रभावित लोगों के इलाज के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी।

23. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के तहत निर्णय के लिए मामूली और संकीर्ण मुद्दा शामिल है। कि क्या प्रत्यर्थी सं. 4 के पास चिकित्सा निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रासंगिक ग्रेड/योग्यता है या नहीं।

24. इस रिट याचिका में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा इसकी पोषणीयता के संबंध में दिए गए तर्कों का जवाब देते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि यह एक स्थापित कानून है कि जनहित याचिकाओं का दायरा सेवा मामलों में सीमित है तथापि साथ ही यह भी समान रूप से स्थापित विधि की सुस्थापित प्रतिपादना है कि किसी अपात्र और अयोग्य व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जिसके लिए वह पात्र नहीं है।

25. यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिकार-पृच्छा रिट की प्रकृति में यह जनहित याचिका इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय है, भले ही विवाद की अंतर्वस्तु सेवा मामले से संबंधित है जैसा कि इस मामले में है, वैधानिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए एक बिल्कुल अयोग्य और अपात्र व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ***राजेश अवस्थी बनाम नंद लाल जायसवाल*** **(2013) 1 एससीसी 501** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में यह मुद्दा अब अनिर्णीत नहीं है।

26. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास निश्चित रूप से तत्काल जनहित याचिका दायर करने का अधिकार है और यह कानून का एक सुस्थापित मत है कि एक व्यक्ति चाहे वह मामले से संबंधित नहीं है, सरकारी

पद पर किसी भी व्यक्ति की अवैध और मनमानी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए अधिकार-पृच्छा रिट के माध्यम से किसी रिट क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का रुख कर सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त स्थिति उत्पन्न होने पर मामला लाने वाला व्यक्ति सम्बंधित मुद्दे से जुड़ जाता है। ***राजेश अवस्थी (पूर्वोक्त)*** के मामले में भी यही स्थापित किया गया था।

27. याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके बाद पारित किए गए निर्णयों की श्रंखला में बार-बार पालन किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ***राजेश अवस्थी*** *(पूर्वोक्त)* मामले में ***मैसर्स सोसाइटी स्टैंडिंग फॉर ए यू मास अवेयरनेस और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य***, रि.या.(सि) 10600/2015 के मामले में दिनांक 23.03.2016 को दिए गए निर्णय को ही आधार बनाया है।

28. *इसके विपरीत*, प्रारंभ में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में तत्काल जनहित याचिका सेवा मामले के अंतर्गत दायर की गई है और यह अब विचारणीय नहीं है कि सेवा मामलों में जनहित याचिका को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

29. प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 को नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए पूर्ण रूप से कानूनी तरीके से नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी सं. 4 को उनके प्रशासनिक कौशल, सतर्कता रिपोर्ट/अनापत्ति, प्रबंधकीय अनुभव और क्षमता को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था।

30. प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 की नियुक्ति का आक्षेपित आदेश विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है और चिकित्सा निदेशक का पद पदोन्नति या वरिष्ठता पर आधारित नहीं है।

31. प्रत्यर्थी सं. 2 ने आगे प्रस्तुत किया कि तत्काल जनहित याचिका संबंधित अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाने के लिए दुर्भावनापूर्ण और निहित उद्देश्यों के साथ दायर की गई है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के संबंधित पक्ष न होने और बीएसए अस्पताल के प्रबंधन/प्रशासन से असंबंधित होने के कारण उसका रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. के अधिकारियों की नियुक्ति के सामान्य कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

32. प्रत्यर्थी सं. 2 ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं. 4 एक अनुभवी डॉक्टर है जो 16 वर्षों से अधिक समय तक चिकित्सा क्षेत्र में सेवारत रहे हैं और वह वर्ष

2004 से रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. के साथ पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि बीएसए अस्पताल के चिकित्सा निदेशक का पद एलोपैथी नियम, 2009 की अनुसूची II के भीतर भी शामिल नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सा निदेशक का पद रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. द्वारा सृजित एक प्रशासनिक पद है और चूंकि रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. सक्षम प्राधिकारी है इसलिए उसे पात्रता के लिए निर्धारित संगत मानदंड अर्थात् प्रबंधकीय, प्रशासनिक और चिकित्सा कौशल के आधार पर उक्त पद पर किसी भी चिकित्सक को नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं. 4 की उक्त नियुक्ति की पुष्टि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 03.03.2021 के नोटिस के माध्यम से भी की गई है।

33. प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिकांश डॉक्टर, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है, बीएसए अस्पताल में चिकित्सा निदेशक के पद के लिए पात्र हैं, वास्तव में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और इस प्रकार चिकित्सा निदेशक के पद के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि यह आयु के संबंध में बाहरी सीमा है जिस तक कोई चिकित्सा निदेशक का पद धारण कर सकता है।

34. इसके बाद प्रत्यर्थी सं. 2 ने डॉक्टरों के नामों पर स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण देना शुरू किया, जो याचिकाकर्ता के अनुसार चिकित्सा निदेशक के पद पर विचार करने के लिए पात्र हैं, यह स्पष्टीकरण देते हुए कि उक्त डॉक्टरों पर चिकित्सा निदेशक के पद हेतु क्यों नहीं विचार किया गया।

35. यह आगे प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई शिकायत नहीं मिली है और वह बीएसए अस्पताल में कुशलता से काम कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा इस बात से इनकार किया गया है कि उनसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में विशेष रूप से कोरोनोवायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान, कोई गलती या लापरवाही हुई थी। प्रत्यर्थी सं. 2 ने अप्रैल-जून, 2021 के महीनों के दौरान बीएसए अस्पताल द्वारा किए गए आरएटी और आरटी-पीसीआर परीक्षणों की कुल गिनती को उपाबद्ध किया है ताकि इसकी दलीलों को साबित किया जा सके कि प्रत्यर्थी सं. 4 अत्यंत परिश्रम के साथ काम कर रहा है।

36. प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि एलोपैथी नियम, 2009 की अनुसूची II, बीएसए अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के पद पर लागू नहीं होगी क्योंकि यह एक ड्यूटी पद नहीं है जो उक्त नियमों के तहत आता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सा निदेशक का पद एक प्रशासनिक

पद है जिसे रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अस्पतालों के सुचारू संचालन के लिए बनाया गया था और यह किसी भी तरह से चिकित्सा अधीक्षक के पद से संबंधित नहीं है, जैसा कि एलोपैथी नियम, 2009 की अनुसूची II में दिया गया है।

37. यह प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सा निदेशक की नियुक्ति के लिए वेतनमान एकमात्र मानदंड नहीं है और यह तथ्य कि प्रत्यर्थी सं. 4 को चिकित्सा निदेशक का पद दिया गया है, उसे किसी भी अतिरिक्त भत्ते, वेतन वृद्धि या पदोन्नति का हकदार नहीं बनाता है। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 अभी भी एक विशेषज्ञ ग्रेड I बना रहेगा।

38. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया। इस मामले का निपटान प्रवेश स्तर पर ही पक्षकारों की सहमति से किया जा रहा है।

39. शुरुआत में, हम इस जनहित याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रत्यर्थियों की प्रारंभिक दलीलों से निपटेंगे क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि सेवा के मामले में इसे प्राथमिकता दिए जाने के आलोक में यह बनाए रखने योग्य नहीं है।

40. प्रारंभिक आपत्ति के संबंध में हमें इसमें कोई महत्व नहीं मिलता है क्योंकि यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है। ***राजेश अवस्थी*** (पूर्वोक्त) के मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सेवा मामलों के मामले में अधिकार-पृच्छा रिट की मांग करने वाली एक रिट याचिका पोषणीय है। कानून की पूर्वोक्त स्थिति को प्रमाणित करने वाला प्रासंगिक पैराग्राफ यहां प्रस्तुत किया गया है -

> "*31. पूर्वोक्त उदघोषणाओं से यह स्पष्ट है कि एक नागरिक अधिकार-पृच्छा रिट का दावा कर सकता है और वह एक रिलेटर की स्थिति में खड़ा होता है। उसे कोई विशेष रुचि या व्यक्तिगत रुचि रखने की आवश्यकता नहीं है। असल परीक्षा यह देखना है कि क्या पद धारण करने वाला व्यक्ति कानून के अनुसार इसे धारण करने के लिए अधिकृत है या नहीं। गुणागुण के आधार पर वाद से निपटने में देरी और अतिविलंब कोई बाधा नहीं है जैसा कि काशीनाथ जी. जाल्मी बनाम अध्यक्ष* [(1993) 2 *एससीसी* 703: *एआईआर* 1993 *एससी* 1873]/"

41. अब जब प्रत्यर्थियों की प्रारंभिक आपत्ति से निपटा गया है, तो अब हम इस मामले को गुणागुण के आधार पर निपटाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए, तत्काल मामले में पारित इस न्यायालय के पिछले आदेश का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

42. दिनांक 04.11.2022 को, यह न्यायालय संबंधित नियमों का अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि चिकित्सा निदेशक का पद स्वयं ही प्रासंगिक भर्ती नियमों के अनुसार मौजूद नहीं है। इसके आलोक में, न्यायालय ने प्रत्यर्थियों से अभिलेख पर यह बताने के लिए कहा था कि प्रत्यर्थी सं. 4 को

चिकित्सा निदेशक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया, जबकि उक्त पद भर्ती नियमों के अनुसार मौजूद ही नहीं है। इस प्रकार दायर किए गए शपथ-पत्र में चिकित्सा निदेशक के पद के लिए अर्हताओं का भी उल्लेख करना आवश्यक था।

43. परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दिनांक 06.02.2023 को एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दायर किया गया है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुमोदन के बाद प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी दिनांक 19.02.2016 का एक आदेश संलग्न किया गया है। शपथ-पत्र में कहा गया है कि चिकित्सा निदेशक का पद विभिन्न चिकित्सा अधीक्षकों और अधिकारियों के बीच अस्पताल के मामलों के बेहतर समन्वय और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। शपथ-पत्र में आगे कहा गया है कि चिकित्सा निदेशक का पद डीएचएस (एलोपैथी) नियम, 2009 के तहत योग्यता मानदंड द्वारा शासित नहीं है और पात्रता मानदंड केवल उपरोक्त आदेश के तहत शासित होता है। उक्त शपथ-पत्र के साथ संलग्न आदेश को आसान संदर्भ के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है -

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

9वां लेवल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-2

दिनांकित

<u>आदेश</u>

आदेश सं. एसएस2 एचएफडब्लू/2015/कैब.नोट/सीडी 11333566/पीआरएसईसी वाईएचएफडब्लू/1238-87,दिनांक 25 जुलाई के क्रम में अलग-अलग चिकित्सा अधीक्षकों के तहत प्रबंधन की छोटी इकाइयों में अस्पतालों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जा रहा है। इससे अस्पतालों का गहन प्रबंधन और नियंत्रण होगा क्योंकि इकाइयां सघन प्रकृति की होंगी और अस्पतालों की सभी इकाइयों/विभागों का प्रबंधन करने वाले एक अधिकारी की अपेक्षा बेहतर प्रबंधनीय होंगी।

2. पुनर्गठन निम्नानुसार होगा: -

क्र.सं.	*अस्पतालों/ संस्थानों का नाम*	*नाम एवं इकाइयों की संख्या*	*विशेषता/इकाइयों का नाम*	
1.	*यूसीएमएस और सहयुक्त जीटीबी अस्पताल*	*मेडिकल कॉलेज (प्रधानाचार्य)*	*1.*	*मेडिकल कॉलेज*
		जीटीबी (चिकित्सा निदेशक)	*1.*	*शल्य-क्रिया एवं संबद्ध सेवाएँ*
			2.	*चिकित्सा एवं संबद्ध सेवाएँ*
			3.	*दुर्घटना एवं आपातकाल सेवाएँ*
			4.	*मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच)*
			5.	*मधुमेह एवं अंतःस्त्राविकी*

2.	*एमएएमसी और सहयुक्त अस्पताल (एलएनएच, जीबीपी अस्पताल, जीएनईसी)*	*मेडिकल कॉलेज (अध्यक्ष)*	*1.*	*मेडिकल कॉलेज*
		एलएनएच (चिकित्सा निर्देशक)	*1.*	*शल्य-क्रिया एवं संबद्ध सेवाएँ, एलएनएच*
			2.	*चिकित्सा एवं संबद्ध सेवाएँ, एलएनएच*
			3.	*दुर्घटना एवं आपातकाल सेवाएँ, एलएनएच*
			4.	*मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच), एलएनएच*
			5.	*अग्रिम बाल-चिकित्सा केंद्र*
		जीएनईसी	*1.*	*नेत्र, जीएनईसी*
		जीबी पंत (चिकित्सा निर्देशक)	*1.*	*हृदयरोगविज्ञान एवं सीटीवीएस, जीबीपीएच*
			2.	*तंत्रिका-विज्ञान, जीबीपीएच और एलएनएच*
			3.	*गैस्ट्रो - विज्ञान (जीई एवं जीआई सर्जरी), जीबीपीएच*
3.	*बीएसए अस्पताल* और *मेडिकल कॉलेज*	*मेडिकल कॉलेज (प्रधानाचार्य)*	*1.*	*मेडिकल कॉलेज*
		बीएसएएच (चिकित्सा निर्देशक)	*1.*	*शल्य-क्रिया एवं संबद्ध सेवाएँ, बीएसएएच*
			2.	*चिकित्सा एवं संबद्ध सेवाएँ, बीएसएएच*
			3.	*दुर्घटना एवं आपातकाल*

				सेवाएं, बीएसएएच
			4.	*मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच), बीएसएएच*
4.	*डीडीयू अस्पताल*	*चिकित्सा निदेशक*	*1.*	*शल्य-क्रिया एवं संबद्ध सेवाएँ, डीडीयूएच*
			2.	*चिकित्सा एवं संबद्ध सेवाएँ, डीडीयूएच*
			3.	*दुर्घटना एवं आपातकाल सेवाएँ, डीडीयूएच*
			4.	*मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच), डीडीयूएच*

3. क्रम सं. 1 से 4 में ऊपर उल्लिखित अस्पतालों के लिए एक चिकित्सा निदेशक नामित किया जाएगा जो अस्पताल के विभिन्न चि.अधी. के बीच एक समन्वय अधिकारी होगा और साथ ही वह मौजूदा चिकित्सा अधीक्षकों की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

4. क्रम सं. 5 में उल्लिखित अस्पतालों के लिए, दो चि.अधी. में से एक चि.अधी. को समन्वयक चि.अधी. के रूप में नामित किया जाएगा और साथ ही वह अस्पताल के मौजूदा चिकित्सा अधीक्षक की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। क्रम सं. 6 में सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए, केवल एक चिकित्सा अधीक्षक होगा।

	अस्पतालों/संस्थानों का नाम	*इकाइयों की संख्या*	*इकाइयों का नाम*	
5. सं बं धि	*जेपीसीएच, बीएसएच, डीसीबीएच, बीएमएच, बीजेआरएम, एसजीएमएच, डीएचएएस, जीजीएसजीएच, एमवीएच, एसआरएचसीएच, एएसबीजीएच, आरटीआरएमएच*		*1.*	*दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाएँ, चिकित्सा एवं संबद्ध सेवाएँ*
			2.	*मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच)*
6. त चि	*अतर सैन जैन नेत्र अस्पताल, डीडीएमएएससी, एसवीबीपीएच, शुसरुता ट्रॉमा सेंटर, एनसी जोशी अस्पताल, एएएएच, पीएमएमएमएमएच*	*01*	*1.*	*केवल एक चि.अधी.*

5. चिकित्सा निदेशक और समन्वयक चि.अधी. क्षेत्र के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को रिपोर्ट करेंगे। विभिन्न चिकित्सा निदेशकों और समन्वयक चि.अधी. के लिए आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। हालांकि, क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के समग्र समन्वय और प्रदायगी के लिए जिम्मेदार होंगे।

6. सभी प्रशासनिक कार्य निदेशक चिकित्सा/समन्वयक चि.अधी. के अधीन प्रशासनिक विभाग और अन्य सहायक विभागों द्वारा किए जाएंगे।

7. ऊपर वर्णित सभी चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक चिकित्सा/समन्वयक चि.अधी. के साथ समन्वयन में अपनी संबंधित इकाइयों का प्रबंधन करेंगे।

8. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (मानव संसाधन)

44. उपरोक्त आदेश दिनांकित 19.02.2016 के अवलोकन से पता चलता है कि यह वास्तव में चिकित्सा निदेशक, बीएसए अस्पताल के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए कोई योग्यता/आवश्यक मानदंड अनुबंधित नहीं करता है। प्रत्यर्थी सं. 2 ने कहा है कि प्रशासनिक कौशल, सतर्कता रिपोर्ट/निकासी, प्रबंधकीय अनुभव और उम्मीदवार की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक निर्णय के आधार पर ऐसा किया जा सकता है हालांकि, उपरोक्त आदेश में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है।

45. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि चिकित्सा निदेशक के पद को एलोपैथी नियम, 2009 में जगह नहीं मिली है। चिकित्सा निदेशक का पद केवल उपरोक्त यांत्रिक आदेश दिनांक 19.02.2016 के अनुसार सृजित किया गया था। वही, या प्रत्यर्थियों द्वारा अपने मामले को बनाने के लिए प्रस्तुत कोई

अन्य निवेदनों और दस्तावेजों ने निश्चित रूप से इस न्यायालय के न्यायिक अंतःकरण को संतुष्ट नहीं किया है।

46. इस न्यायालय के मस्तिष्क में यह स्पष्ट है कि चिकित्सा निदेशक का पद उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बनाया गया था। प्रत्यर्थियों ने यह बताने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा है कि चिकित्सा निदेशक के पद की मंजूरी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। हालांकि एलोपैथी नियम, 2009 के नियम 4 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद एलोपैथी नियम, 2009 की अनुसूची II में उल्लिखित पदों के अलावा अन्य पदों को शामिल कर सकती है, प्रत्यर्थियों ने यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा है कि चिकित्सा निदेशक के पद को बनाने के लिए उक्त प्रक्रिया का पालन किया गया था।

47. प्रत्यर्थियों का यह निवेदन कि बीएसए अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के पद के लिए पात्रता, वेतनमान, वरिष्ठता से संबंधित नहीं है या एलोपैथी नियम, 2009 में निर्धारित किसी भी मानदंड द्वारा शासित नहीं है और इसके अलावा यह केवल प्रशासनिक कौशल, सतर्कता रिपोर्ट/निकासी, प्रबंधकीय अनुभव और चिकित्सा निदेशक के पद के लिए विचार किए जा रहे उम्मीदवार

की क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक प्रशासनिक निर्णय है, महत्त्व नहीं रखता है। इस न्यायालय की राय में, इस तरह का एक अस्पष्ट मानदंड सरकार को यह तय करने के लिए लगभग अपारदर्शी विवेक प्रदान करता है कि अस्पताल में एक संवेदनशील और वरिष्ठ पद, चिकित्सा निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, जिसे बीएसए अस्पताल के विभिन्न कर्मचारियों की ए.सी.आर. तैयार करने और प्रासंगिक मशीनरी आदि प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करना राज्य का कर्तव्य है। कोई भी मानदंड जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में मनमाना होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

48. इस तात्कालिक मामले में प्रत्यर्थियों ने कई उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए जो वास्तव में प्रत्यर्थी सं. 4 से अधिक वरिष्ठ थे बीएसए अस्पताल के सर्वोच्च पदों में से एक पर एक उम्मीदवार को बेहद मनमाने तरीके से नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े हैं। इसके अलावा, दिनांक 19.02.2016 के आदेश के संदर्भ में प्रत्यर्थियों द्वारा चिकित्सा निदेशक का पद बनाया गया था जो उचित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया था। प्रत्यर्थियों को एलोपैथी नियम, 2009 में संशोधन करना आवश्यक था यदि वे चिकित्सा निदेशक के

पद को शामिल करना चाहते थे या कम से कम यह दिखाते हैं कि यांत्रिक रूप से एक आदेश लेने के बजाय चिकित्सा निदेशक के पद को बनाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ उचित परामर्श किया गया था जिसमें चिकित्सा निदेशक के पद के लिए कोई पात्रता मानदंड भी निर्धारित नहीं किया गया है।

49. इसके अलावा, प्रत्यर्थियों का रुख कि एलोपैथी नियम, 2009 या वरिष्ठता चिकित्सा निदेशक, बीएसए अस्पताल के पद पर लागू नहीं होगी, उनकी ओर से बाद में विचार किया गया प्रतीत होता है, दिनांक 03.03.2021 की बैठक के कार्यवृत को ध्यान में रखते हुए जिसमें अभिलेख पर नियुक्ति के आक्षेपित आदेश के साथ चिकित्सा निदेशक के लिए नामों का प्रस्ताव किया गया था। सबसे पहले, यह वह पद है जिसे उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बनाया गया है दूसरा, प्रत्यर्थियों ने प्रत्यर्थी सं. 4 को एक अनियमित पद पर नियुक्त किया है जबकि उक्त पद पर नियुक्ति के लिए उन्होंने स्वयं अनुबंधित मानदंड को भी ध्यान में नहीं रखा है।

50. इस प्रकार, किसी भी तरह से यह नहीं माना जा सकता है कि प्रत्यर्थी सं. 4 की नियुक्ति प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

51. एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में सार्वजनिक रोजगार संविधान और उसके तहत बनाई गई विधियों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। हमारी संवैधानिक योजना में सरकार और उसके तंत्रों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर रोजगार की परिकल्पना की गई है। अवसर की समानता इसकी पहचान है और संविधान ने यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के लिए भी प्रावधान किया है कि असमानों के साथ समान व्यवहार न किया जाए। इस प्रकार, किसी भी सार्वजनिक रोजगार को संवैधानिक योजना के संदर्भ में होना चाहिए।

52. एक नियोजक के रूप में राज्य की शक्ति एक निजी नियोजक की तुलना में अधिक सीमित है क्योंकि यह संवैधानिक सीमाओं के अधीन है और मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें, एलोपैथी नियम, 2009 को अनुच्छेद 309 के तहत दी गई सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 सरकार को संघ या किसी भी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों और भर्ती के उद्देश्य से नियम बनाने की शक्ति देता है। यह सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक प्रक्रिया

और नियमों के निर्माण पर विचार करता है। यदि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाए गए हैं तो सरकार नियमों के अनुसार ही नियुक्तियां कर सकती है। राज्य एक आदर्श नियोक्ता माना गया है। यह माना जाता है कि विधि के प्राधिकार के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों के लिए किसी भी सरकारी आदेश, अधिसूचना या परिपत्र को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी अन्य मार्ग का अनुसरण करना विनाशकारी हो सकता है क्योंकि यह संवैधानिक योजना के तहत सिविल सेवकों को प्रदत्त समानता के अधिकार से वंचित करेगा। यह सेवा विधिशास्त्र के स्वीकृत सिद्धांतों को नकारने के बराबर भी हो सकता है। इसलिए, जब संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार सांविधिक नियम बनाए जाते हैं जो व्यापक होते हैं, तो अंगीकार का एकमात्र उचित साधन इस प्रकार बनाए गए नियमों के आधार पर नियुक्तियां करना है।

53. उपर्युक्त के आलोक में, इस तत्काल रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और बीएसए अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के रूप में प्रत्यर्थी सं. 4 की नियुक्ति के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है।

54. किसी भी लंबित आवेदन(ओं) के साथ रिट याचिका का निपटान इन शर्तों में किया जाता है।

(सतीश चन्द्र शर्मा)
मुख्य न्यायाधीश

(सुभ्रमोणयम प्रसाद)
न्यायाधीश

24 मई 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*